कार्यालय परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

(E-mail:- ccmp.bilaspur.cg@nic.in) Phone – 07752-400946

ज्ञाप. क्रमांक 1030 / तक. / पी.24 / ए.डीबी / 2019–20 बिलासपुर दिनांक 15 / 7 / 2019

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अरण्य भवन सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत Widening of Existing Road from Bakaruma-Lailunga Road (Package-24) के लिये कुल क्षेत्र 3.843 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्ताव।**

संदर्भ :– आपका ज्ञाप क. भू–प्रबंध / विविध / एल.एम.–115–780 / क्यू.5 रायपुर, दिनांक शून्य / 06 / 2019.

—— 00 ——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख का निवेदन है कि धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत Widening of Existing Road from Bakaruma-Lailunga Road (Package-24) के लिये **कुल क्षेत्र 3.843 हे.** वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्ताव पूर्व में User Agency (ADB PWD Bilaspur) के कंसलटेन्ट लॉयन इंजिनीयरिंग कंसलटेन्ट भोपाल द्वारा दिनांक 29.04.2019 को ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रस्ताव जमा किया गया था। ऑनलाईन आवेदन फार्म में (A-3 (I)) में जो नाम पूर्व में **श्री पी. के. गुप्ता, परियोजना प्रबंधक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट बलौदाबाजार** प्रस्तुत किया गया था। वास्तव मे उपरोक्त कार्य **श्री एस.एस. मांझी, परियोजना प्रबंधक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट बिलासपुर** के कार्यक्षेत्र में आता है एवं उपरोक्त मार्ग का वनमंडलाधिकारी वनमंडल धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ है।

लेख है कि छ.ग. शासन लो.नि.वि. मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के ज्ञाप क. एफ. 17–165 / 2018 / 19 / ए.डी.बी. / लोन–3 / तक.–2 नया रायपुर दिनांक 06.08.2018 द्वारा बाकारूमा–लैलूंगा मार्ग पैकेज–24 के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 72.53 करोड़ प्रदाय की गई है।

कार्यालय वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ के ज्ञाप क. मा.चि. / 2018 / 762 दिनांक 09.02.2018 द्वारा (Wild Life Century/Elephant Coridore) नही होने संबंधी प्रमाण पत्र दिया गया है। परियोजना निदेशक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट, छ.ग. विकास परियोजना, लो.नि.वि., रायपुर का ज्ञाप कमांक 1236 / ए.डी.बी. / 2018 रायपुर दिनांक 17.04.2018 द्वारा बाकारूमा–लैलूंगा के FCA 1980 प्रस्ताव हेतु Authorization प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रदाय किया गया है।

कार्यालय वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ के ज्ञाप क. मा.चि. / 2018 / 3967 दिनांक 11.10. 2018 द्वारा परियोजना प्रबंधक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट बिलासपुर को DGPS Survey करने की अनुमति प्रदाय की गई है।

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

आपके संदर्भित ज्ञाप क्रमांक के परिपालन में बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है –

1	आर.एफ / पी.एफ.फराजस्व वन क्षेत्र / राजस्व गैर वन क्षेत्र / निजी क्षेत्र कितना प्रभावित होगा, इसका रकबा हे. में देवें। आपके द्वारा निरंक जानकारी दी गई है।	उपरोक्त वनभूमि RF (आरक्षित वन) 3.678 हे. एवं PF (संरक्षित वन) 0.165 हे. क्षेत्र अंतर्गत आता है, जिसका कुल रकबा (3.678+0.165) = 3.843 हे. है।
2	पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क हेतु छ.ग. शासन के संलग्न पत्र क्रमांक एफ.–7 / 22 / 2009 / 10–2 रायपुर दिनांक 30.06.2012 अनुसार वनमंडलाधिकारी महासमुंद बनमंडल के नाम से डी. डी. बनवाकर अवनोड करें। आपके द्वारा निरंक जानकारी दी गई है।	पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क की राशि वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ के नाम से बनावने हेतु दिशानिर्देश प्रदान करने का कष्ट करेंगे।
3	यदि आवेदित वन क्षेत्र में राजस्व वन क्षेत्र सम्मिलित है तो संबंधित कलेक्टर की अनापत्ति अतिरिक्त जानकारी के रूप में अवलोड करें। आपके द्वारा निरंक जानकारी दी गई है।	उपरोक्त मार्ग में राजस्व वनक्षेत्र नही अंतर्गत आता है, अतः संबंधित कलेक्टर रायगढ़ से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।
4	श्री पी.के. गुप्ता का मुख्यालय बलौदाबाजार में है। विभाग प्रमुख यह लिखित में पुष्टि करें कि पी.के. गुप्ता धरमजयगढ़ के इस परियोजना के लिये आवेदन करने के लिये सक्षम है। पुष्टि संबंधी पत्र वेब पर अपलोड करें।	इस संभाग में दिनांक 09.01.2018 से 31.05.2018 तक **श्री बी.एस. बघेल, परियोजना प्रबंधक** के प्रभार पर रहे है। वास्तव मे उपरोक्त कार्य **श्री एस.एस. मांझी, परियोजना प्रबंधक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट बिलासपुर** के कार्यक्षेत्र में आता है एवं उपरोक्त मार्ग का वनमंडलाधिकारी वनमंडल धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ है। बिन्दू 4 के संबंध में परियोजना निदेशक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट, छ.ग. विकास परियोजना, लो.नि.वि., रायपुर का पत्र संलग्न है।

कृपया उपरोक्त सुधार करते हुये User Agency **(ADB PWD Bilaspur)** के **कंसलटेन्ट लॉयन इंजिनीयरिंग कंसलटेन्ट भोपाल** का ऑनलाईन आवेदन फार्म में (A-3 (I)) पुनः मान्य करने का कष्ट करेंगे एवं पंजीयन तथा प्रसंस्करण शुल्क राशि हेतु पत्र इस कार्यालय को जारी करने का कष्ट करेंगे।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

15/7/19

परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

पृष्ठां. क्रमांक .... / तक. / पी.24 / ए.डीबी / 2019–20 बिलासपुर दिनांक ..... / .... / 2019

प्रतिलिपि :–

1. परियोजना निदेशक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., सिरपुर भवन रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. लॉयन इंजिनीयरिंग कंसलटेन्ट भोपाल (म.प्र.) ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री एस.के. चोलकर, सहायक परियोजना प्रबंधक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट, छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री प्रवीण शुक्ला, गुणवत्ता पर्यवेक्षक, ए.डी.बी. परियोजना, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि. वि., बिलासपुर (छ.ग.) ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हपत्र :– शून्य।

परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन नया रायपुर

क्रमांक एफ 17–165/2018/19/ए.डी.बी./लोन–3/तक–2, नया रायपुर, दिनांक 06/08/2018

प्रति,

परियोजना निदेशक,
ए.डी.बी.(प्रोजेक्ट)
छ.ग.राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना,
लो.नि.वि. रायपुर (छ.ग.)

विषय : **वर्ष 2018–19 के प्रथम अनुपूरक बजट में शामिल ए.डी.बी. लोन–3 परियोजना अंतर्गत बाकारुमा लैलुंगा मार्ग (पै.क्र.– 24) के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत् । (मद क्र. 3/3)**

संदर्भ : आपका ज्ञाप क्र. 1366/ए.डी.बी./लोन–3/2018 दिनांक 28.04.2018

——000——

राज्य शासन एतद् द्वारा विषयांकित कार्य के लिये **रुपये 72.53 करोड (बहत्तर करोड़ तिरपन लाख)** मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान करता है :–

1/ कार्य का व्यय मांग संख्या/शीर्ष **76/5054(03)–(337)–1202–(7922) छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस–III # 97 निर्माण कार्य 002 सड़क के अंतर्गत** विकलनीय होगा ।

2/ पुल/पुलिया की डिजाईन/ड्राईंग सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित करा कर ही उनका कार्य प्रारंभ किया जावें।

3/ उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किया जावे ।

4/ उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जावें तथा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य को प्रारंभ किया जावें।

5/ उक्त कार्य की निविदा की कार्यवाही प्रमुख अभियंता कार्यालय में गठित निविदा प्रकोष्ठ से कराया जाना सुनिश्चित करें।

6/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्र. 698/ब–2/19–02361/बजट–2/वित्त/चार/ 2018, दिनांक 03.08.2018 द्वारा प्राप्त सहमति अनुसार जारी की जाती है ।

सहपत्र : स्वीकृत प्राक्कलन ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

6/8/2018

(सी. तिर्की)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग

कार्यालय परियोजना प्रबंधक
ए.डी.बी. परियोजना, बिलासपुर (छ.ग.)
आवक क्रमांक 3461/12
दिनांक 7/8/18
सहपत्र..........

पृ.कमांक एफ 17–165/2018/19/ए.डी.बी./लोन–3/तक–2, नया रायपुर, दिनांक /08/2018

प्रतिलिपि :

1/ निज सचिव माननीय मंत्री जी, लो.नि.वि. छ.ग.शासन मंत्रालय नया रायपुर ।
2/ प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर।
3/ महालेखाकार, (छ.ग.), जीरो पाईट बलौदाबाजार मार्ग रायपुर ।
4/ प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि., नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19 निर्माण भवन, नया रायपुर ।
5/ बजट शाखा प्रमुख अभियंता, कार्यालय (कृपया वर्ककोड तत्काल जनरेट करें)

की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग

Pk
20
24

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

☎ 07766-266599 निवास, 07766-266739 कार्या. फैक्स 07766-266740 E.Mail ID-dfo_dharamjaigarh@rediffmail.com

क्रमांक/मा.चि. /2018/ 762 /धरमजयगढ़ दिनांक 03/02/18

प्रति,

परियोजना निदेशक
(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना
लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. लोन– 3 परियोजना) के अंतर्गत मार्ग धरमजयगढ़ कापू मार्ग 32.20 कि.मी. एवं बाकारूमा लैलूंगा मार्ग 23.00 कि.मी. का वन क्षेत्र संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय करने बावत् ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. / 143 / लो.–3/ तक. / ए.डी.बी. / 2017–18 बिलासपुर दिनांक 08.02.2018

——0——

विषयांकित प्रकरण में लेख है कि, ए.डी.बी. लोन–3 के अंतर्गत धरमजयगढ़ कापू मार्ग 32.20 कि.मी. एवं बाकारूमा लैलूंगा मार्ग 23.00 कि.मी. का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित मार्ग अंतर्गत आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि प्रभावित होगा। उक्त मार्ग में (Wild life Century/Elephant Corridor) नही है।

वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

/धरमजयगढ़, दिनांक 03/02/18

क्रमांक/मा.चि./2018/ 763

प्रतिलिपि :-

(1) उप वनमंडलाधिकारी लैलूंगा, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
(2) वन परिक्षेत्राधिकारी कापू एवं बाकारूमा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़ (छ0ग0)

☎ 07766-266599(निवास) 07766-266739(कार्या.) (फैक्स) 07766-266740 E.Mail ID-dfo_dharamjaigarh@rediff.co.in

/धरमजयगढ़, दिनांक – 11/10/2018

कमांक/मा.चि./2018/ 3967

प्रति,

परियोजना प्रबंधक,
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छ.ग.सड़क विकास परियोजना
लेक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :– **ए.डी.बी. लोन –3 परियोजना अन्तर्गत सम्मिलित मार्गो पर पडने वाले वनक्षेत्र की जानकारी हेतु DGPS सर्वे की अनुमति प्रदाय किये जाने बाबत्।**

संदर्भ :– **आपका पत्र कमांक/ 1284/तक/लोन–3/ए.डी.बी. 2018–19 दिनांक 29.09.2018**

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि आपके द्वारा ए.डी.बी. लोन–3 परियोजना अन्तर्गत बाकरुमा से लैलूगा मार्ग लम्बाई 23.00 कि.मी. के उन्नयन एवं पुनर्निमाण का कार्य किया जाना है । उक्त मार्ग में धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत कुल 2.200 कि.मी. लम्बाई प्रभावित हो रहा है जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु वन एवं राजस्व वन भूमि में डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण करने के लिए अनुमति चाही गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

आवेदित वन क्षेत्र का विवरण

Forest Details				
From Ch	To Ch	Length Km.	Area Ha.	Remarks
15+300	15+400	0.100	0.18	Near Sujimeda Village
15+700	15+900	0.200	0.36	Near Salakhiya Village
17+900	17+800	1.900	3.42	
Sub Total		2.200	3.96	

उपरोक्तानुसार वन एवं राजस्व वन भूमि के सर्वेक्षण में निम्न शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा :–

1. वन क्षेत्र में खडे वृक्ष एवं वन्य प्राणी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं किया जावेगा।
2. वन भूमि पर कोई भी स्थाई /अस्थाई श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेंगे।
3. प्रातः 08 से सायं 04.00 बजे के पश्चात् कोई कार्य नहीं किया जावेगा ।
4. वन भूमि में किसी भी प्रकार के अवैध कटाई, अवैध उत्खनन, अवैध निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
5. भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षक अधिनियम 1972 के नियम एवं शर्तो का पालन किया जावेगा।
6. वनो का आग से सुरक्षा किया जावेगा।
7. डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण के कारण यदि वन क्षेत्र को कोई नुकसान होता है तो कियान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना लागत पर ऐसे नुकसान की भरपाई की जावेगी। नुकसान का निर्धारण संबंधित उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा।
8. सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र हाथियों के विचरण क्षेत्र होने के कारण संबंधित वन कर्मियों के निर्देशानुसार डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण कार्य कराया जावेगा। यदि वन्य प्राणियों द्वारा किसी प्रकार की कोई क्षति पहुचाई जाती है तो जवाबदारी आवेदक संस्थान की होगी।

1799/L3
22/10/18

उपरोक्त शर्तो के तहत प्रस्तावित क्षेत्र का गैर वानिकी कार्य के उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने एवं प्रकरण का पंजीयन कराने हेतु डी.जी.पी.एस. सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान की जाती है। डी.जी.पी.एस. सर्वे उपरांत एवं सेफ फाईल तैयार कर इस कार्यालय में जमा करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

कमांक/मा.चि./2018/ 3968 /धरमजयगढ़, दिनांक – 11/10/2018

प्रतिलिपि :–

1. उप वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. परिक्षेत्र अधिकारी बाकारूमा एवं लैलूंगा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप परिक्षेत्र अन्तर्गत आने वाले वन एवं राजस्व वन भूमि में डी.डी.पी.एस. सर्वेक्षण हेतु आवेदक संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

OFFICE OF THE PROJECT DIRECTOR
(ADB PROJECT)
C.G. STATE ROAD SECTOR PROJECT,
PUBLIC WORKS DEPARTMENT,
SIRPUR BHAWAN, RAIPUR (C.G.)
E-mail:- pdadb.raipur.cg@gov.in, Tel. /FAX 0771- 2331427

Pbg
(24)

Memo No.:- 1236 /ADB/ 2018 Raipur Date: 17 / 04 /2018

To Whomsoever it may Concern.

This is to certify that Shri B.S. Baghel Project Manager, C.G. State Road Sector Project, Bilaspur is here by authorized to sign and submit all the documents pertaining to FCA (1980) Proposal for Rehabilitation & Upgrading of Bakaruma Lailunga Road (23.00 Km.).

17/4/18

(D.K. Agrawal)
Project Director
ADB Project, CSRSP
Raipur (C.G.)

17/4/18

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर – 19, नार्थ ब्लाक, अटल नगर रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840
ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/एल.एम–115–780/ 452-5

रायपुर, दिनांक /06/2019

प्रति,

PROJECT MANAGER
CSRSP PWD
BALODA BAZAR
WARD NO 20 CIVIL LINES
BALODA BAZAR, CHHATTISGARH

विषयः – **धरमजयगढ वनमंडल अंतर्गत Widening of Existing Road from Bakaruma-Lailunga Road के लिए कुल क्षेत्र 3.843 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्ताव।**

संदर्भः – आनलाईन प्राप्त प्रकरण दिनांक 29.04.2019

–00–

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में दिनांक 29.04.2019 को User Agency से आनलाईन रजिस्ट्रेशन के प्राप्त प्रस्ताव में निम्नानुसार सुधार की आवश्कयता है :–

1. आनलाईन आवेदन फार्म में A-3(i) में जो नाम – श्री पी. के. गुप्ता दिया गया है वह आवेदन फार्म के बिन्दु कमांक A-3 (xvii) में अपलोड किये गये पी.डी.एफ फाईल से मिलान होना जरूरी है। श्री पी. के गुप्ता को पी.डब्लू.डी के वरिष्ठ अधिकारी से वन संरक्षण अधिनियम प्रस्ताव में आवेदन करने के लिए अधिकृत कराने का पत्र (**Authority Letter**) A-3 (xvii) में अपलोड करें।

2. **वेब पर अतिरिक्त जानकारी** (additional information) **में**
   1. आर.एफ/पी.एफ/राजस्व वन क्षेत्र/राजस्व गैर वन क्षेत्र/निजी क्षेत्र कितना प्रभावित होगा, इसका रकबा हे. में देवें। आपके द्वारा निरंक जानकारी दी गई है।
   2. पंजीयन एवं प्रसंस्करण शुल्क हेतु छ.ग. शासन के संलग्न पत्र कमांक/एफ.–7/22/2009/10–2 रायपुर दिनांक 30.06.2012 अनुसार वनमंडलाधिकारी, महासमुन्द वनमंडल के नाम से डी.डी बनवाकर अपलोड करें। आपके द्वारा निरंक जानकारी दी गई है।
   3. यदि आवेदित वन क्षेत्र में राजस्व वन क्षेत्र सम्मिलित है तो संबंधित कलेक्टर की अनापत्ति अतिरिक्त जानकारी के रूप में अपलोड करें। आपके द्वारा निरंक जानकारी दी गई है।
   4. श्री पी. के. गुप्ता का मुख्यालय बलौदाबाजार में है। विभाग प्रमुख यह लिखित में पुष्टि करें कि पी.के. गुप्ता धरमजयगढ के इस परियोजना के लिए आवेदन करने के लिए सक्षम है। पुष्टि संबंधी पत्र वेब पर अपलोड करें।

Department NOC

अतः उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति करें।

(अतुल कुमार शुक्ला)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

G:\Year 2019\Online\Z.O.N.L.I.N.E LETTER\Misc\5. 4873.doc(20 June 2018)